Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal
© 2019 SHISRRJ | Volume 2 | Issue 4 | ISSN : 2581- 6306

गरीबी का स्वरूप, उद्देश्य, शोध विधि : एक अध्ययन

डॉ.मनमोहन प्रसाद पाण्डेय
भूतपूर्व शोध छात्र,
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश,भारत।

सारांश– आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि चयनित जनपदों में से इलाहाबाद में सर्वाधिक 32.26 प्रतिशत, जबकि अन्य जनपदों यथा चित्रकूट में 24.41 प्रतिशत, मथुरा में 12.69 प्रतिशत, तथा बाराबंकी में 12.8 प्रतिशत, कर्मकार कृषक कृषि कार्य में लगे हुये है। यदि प्रदेश स्तर पर परिवारिक कर्मकारों की स्थिति को देखा जाए तो कुल पारिवारिक कर्मकारों (0.87 प्रतिशत), का सर्वाधिक (6.4 प्रतिशत), इलाहाबाद जनपद में तथा (5.28 प्रतिशत) बाराबंकी, (3.73 प्रतिशत) मथुरा एवं सबसे कम (1.99 प्रतिशत) चित्रकूट जनपद में पारिवारिक कार्यो में लगे हुए हैं दूसरी ओर यदि अन्य कार्यो में लगे हुए कर्मकारों को देखा जाय तो प्रदेश में कुल (3.9 प्रतिशत) अन्य कार्यो में लगे हुए कर्मकारों का सर्वाधिक (43.34 प्रतिशत) मथुरा जनपद में लगे हुए है। बाराबंकी तथा सबसे कम (17.69 प्रतिशत) चित्रकूट जनपद में लगे हुए है। वही अगर सीमान्त कर्मकारों को देखा जाए तो प्रदेश के कुल (2.72 प्रतिशत) सीमान्त कर्मकारों का सर्वाधिक (33.7 प्रतिशत) इलाहाबाद जनपद में तथा (30.81 प्रतिशत) चित्रकूट, (30.19 प्रतिशत) मथुरा तथा सबसे कम (19.93 प्रतिशत) बाराबंकी जनपदों मे लगे हुए है।

मुख्य शब्द– गरीबी, जिला, राज्य, स्वरूप, विधि, कार्य, परिवारिक, कृषक।

देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1952 से ग्रामीण विकास की जो प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी उसका मुख्य केन्द्र बिन्दु 'गरीब' लोग ही थे। कदाचित जमींदारी उन्मूलन, अनेक भूमि सुधार कार्यक्रम, सहकारी आन्दोलन तथा पंचायती राज संस्थाओं में लोगों की भागीदारी द्वारा अपेक्षा की गयी थी कि गरीबों की संख्या में कमी आयेगी और देश के सर्वाधिक कमजोर आय वर्ग (गरीब) के लोगो की आय बढ़ेगी। साथ ही यह भी माना गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र, जो देश की अर्थ व्यवस्था में प्रभावशाली स्थान रखता है तथा इनके द्वारा जो आधार–भूत संरचना सृजित की जायेगी वह देश के गरीबों को रोज़गार के अवसर के साथ–साथ आय में मददगार सिद्ध होगें। किन्तु इन प्रयासों के पश्चात भी देश में वास्तविक गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती गयी। ऐसी स्थिति में यह महसूस किया जाने लगा कि उच्च

विकास दर प्राप्त करने के बाद भी गरीबी अन्ततः बनी हुयी है तथा इसी दौरान मुख्य दो कारणों से गरीबी पर सीधे प्रहार की रणनीति बनाई गयी जिससे गरीबी की समस्या का हल किया जा सके। ये दो मुख्य कारण निम्नवत है–

1 विकास की प्रक्रिया भविष्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगो को ध्यान नही दे पायेगी क्योंकि विकास प्रभावशाली माँग पर निर्भर करती है और लोगो की मांग में क्रय क्षमता विद्यमान रहता है।

2 गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बहुसंख्य लोगों का अनुपात विकास की प्रक्रिया को स्वतः पीछे खींच देगें और विकास अपने उच्च स्तर पर नही आ सकेगा।

गरीबी उन्मूलन के लिए जो प्रयास किया गया उसमें जहां एक ओर गरीबों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुयी वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पतियों की स्थापना के साथ–साथ गरीबों में नियमित आय एवं रोज़गार के अवसरों में भी वृद्धि हुयी। उक्त के कारण परोक्ष रूप से गरीबों को सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान किया गया। गरीबी उन्मूलन हेतु संचालित कार्यक्रमों को मुख्यतः चार कोटि में विभाजित किया जा सकता है–

1 मजदूरी एवं रोज़गार सृजित करने वाले कार्यक्रम

2 उत्पादजनित परिसम्पतियों द्वारा पूरक स्वरोज़गार सृजित करने वाले कार्यक्रम

3 उक्त दोनों कारणों के मिश्रण पर आधारित ग्रामीण परिसम्पतियों के विकास को सृजित करने वाले कार्यक्रम

4 सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

यद्यपि लम्बी अवधि तक इन कार्यक्रमों के प्रयोग के बाद भी गरीबी उन्मूलन की दिशा में इन कार्यक्रमों की उपलब्धि बहुत कम स्तर पर पायी गयी है। सामान्यतः यह देखा गया कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की वास्तविक उपलब्धि कम हो जाती है यदि इसके साथ निम्न सूचकांक आधारित साक्षरता, स्वास्थ्य सुरक्षा, बालश्रम, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों को जोड़ दिया जाय अर्थात गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रभावकारिता में और भी कमी आ जाती है और वांछित सन्तोषजनक उपलब्धि नहीं प्राप्त हो पाती है। यद्यपि सभी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अपने सार्थक उद्देश्यों एवं समरूपता के साथ देश में संचालित किए गये जिससे निम्न प्रकार के गरीब परिवार को मदद किया जा सके किन्तु ये कार्यक्रम गरीबों की स्थिति को नहीं बदल सके जिसका मुख्य कारण पात्र लाभार्थियों के चयन में असफलता को माना जा सकता है। सरकारी एवं गैर–सरकारी स्तर पर कराये गये अनेक मूल्यांकन अध्ययन स्पष्ट करते हैं कि विभिन्न योजनाओं में राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न वर्ग के लोगों को योजना का लाभ अधिक दिया गया तथा वास्तविक गरीबों को योजना से उपेक्षित कर दिया गया। इस प्रकार योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं वास्तविक लाभार्थियों की उपेक्षा के कारण गरीबों तक ऐसे कार्यक्रमों की पहुँच कमजोर हो गयी और योजनाएं अपने वास्तविक उद्देश्यों से भटक गयी। गरीबों की संख्या, गरीबों का चिन्हांकन एवं उसके कारणों पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचारों का समीक्षात्मक विश्लेषण निम्नवत है–

पावर्टी एण्ड इकानामिक्स डेवलपमेंट, प्रो0 अमर्त्य सेन, राज्यपाल एण्ड सन्स, कश्मीरीगेट, नई दिल्ली, 1997, में कहा है कि गरीब कोई एक आर्थिक वर्ग नहीं होता बल्कि गरीबी बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है। इन्होंने गरीबी को मापने व गरीबों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए प्रति व्यक्ति आय को आधार माना

है। इनका मानना है कि गरीबी का अनुमान लगाते समय गरीबों की वास्तविक स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए अर्थात् गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है और एक खराब स्थिति दूसरी खराब स्थिति से कितनी भयावह है। इस प्रकार इनका मानना है कि भारत में गरीबी मापने के लिए जो प्रयास किए गए है उनमें गरीबों की संख्या पर ही ध्यान दिया गया है उनकी आर्थिक स्थिति पर नहीं।

कैलोरी डिप्राइवेशन इन रुरल इण्डिया, (लेखपत्र), श्री जी0वी0, मिनाक्षी व वृन्दा विश्वनाथन, 1983, में सरकार द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा पर फिर से विचार करने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों को न्यूनतम कैलोरी मात्रा की प्राप्ति कम लागत पर तथा ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सुरक्षित पर्यावरण की आवश्यकता पर बल दिया जो गरीबी निवारण की दिशा में महत्वपूर्ण है।

गरीबी की प्रकृति, श्री एच0एम0 कोठारी, 1993, में गरीबी के पूर्णतावादी एवं सापेक्षवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। पूर्णतावादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत गरीबी की माप का आधार गरीब परिवारों के आय स्तर को माना है वहीं सापेक्षवादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत गरीबी की माप करने के लिए गरीब परिवारों के जीवन–यापन के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर बल दिया है।

इण्डियन इकॉनमी सिन्स इनडिपेन्डेन्स, श्री उमा कपिला, अकेडमिक फाउण्डेशन, 2005, में गरीबी के लिए आय एवं धन के असमान वितरण को उत्तरदायी मानते हैं। इन्होंने न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताओं को दो भागों में विभाजित कर के पूरा करने पर बल दिया है। पहला रोटी, कपड़ा और मकान, दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति तथा स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता पर बल दिया है।

रिसेन्ट ट्रेन्ड इन पावर्टी इन इनइक्वलटी, (लेखपत्र), श्री हिमांशु, 2007, ने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का मुख्य कारण क्षेत्रीय असमानताओं को मानते हैं। इनका मानना है कि क्षेत्रीय विषमताओं के बढ़ने से गरीबी में वृद्धि होगी तथा क्षेत्रीय विषमताएं कम होने से गरीबी अनुपात में कमी आयेगी। इन्होंने खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कमी करने तथा गरीब परिवारों को सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।

द पॉवर्टी क्योंशच्न, में गरीब कौन है?, श्री योगेश अटल, 2002, ने इस सन्दर्भ में तीन प्रकार के गरीबों को चिन्हित किया है प्रथम–ऐसे गरीब परिवार जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, द्वितीय–ऐसे गरीब परिवार जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं एवं तृतीय–ऐसे गरीब परिवार जो दूसरों की तुलना में अपने को अधिक अभिवंचित मानते हैं।

गरीबी का रूझान (उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में लेखपत्र), प्रो0 ए0के0 सिंह, 2007, में माना है कि गरीबी के कई आयाम हैं जो उसके मापन के लिए उत्तरदायी है जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवीय क्षमताओं का सीमित उपयोग, सामाजिक बहिष्कार, जोखिम, इत्यादि। उन्होंने माना है कि आम तौर पर गरीबी का आंकलन आय के स्तर से लिया जाता है जिसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।

गरीबी एवं भुखमरी, (रिपोर्ट), संयुक्त राष्ट्र संघ, 1994, में प्रकाशित अपने रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि 'विश्व की लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी, भुखमरी, बीमारी और निरक्षरता से ग्रसित है, इन समाजिक बीमारियों को हल किये बिना वास्तविक विकास को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। अतः सम्भावित विकास के प्रयासों के वितरण में इन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। विश्व की सर्वोच्च संस्था ने यह

स्वीकार किया है कि अनसुलझी समस्याओं को नए तरीके से प्राथमिकता क्रम में सुनियोजित करने की आवश्यकता है क्योंकि गरीबी उन्मूलन हेतु विकास के अनेक प्रयासों के बाद भी विश्व में 1.3 विलियन लोग इस समस्या का दंश झेल रहे हैं। विश्व के विकासशील देशों में अनेक बच्चे कुपोषण के कारण रोज मर रहे हैं। आज समाज में गरीबी, बेरोज़गारी, सामाजिक अलगाववाद और सीमान्तीकरण की समस्या से दुनिया के अनेक महाद्वीपों के देश जूझ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण सम्बन्धित देशों की पुरानी नीतियों का असफल हो जाना है।'

अल्पविकसित देशों में गरीबी का स्तर, (रिपोर्ट), विश्व बैंक, 2000–2001, में माना गया है कि ''विश्व में 1990 के पश्चात् गरीबी के स्तर में कमी आयी है किन्तु इस उपलब्धि का वितरण समान स्तर पर नहीं है। जहाँ विश्व के अनेक क्षेत्रों एवं देशों के समूहों में त्वरित प्रगति दर्ज की गयी वहीं अल्पविकसित देशों में गरीबी के स्तर ज्यों का त्यों बना रहा या वृद्धि की प्रवृति अवलोकित किया गया है। इस अन्तर का एक मुख्य कारण आर्थिक वृद्धि का परिणाम है जो यह विभेदता को प्रकट करता है।''

उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट, (रिपोर्ट), 2001, में रेखांकित किया गया है कि प्रदेश की 65 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है इनमें से अधिकांश लोग गरीबी रेखा के नीचे के हैं। कृषि क्षेत्र में किये गये विकास एवं सुधार अपनी वांछित सफलता से कोसों दूर है तथा 90 के दशक के दौरान प्रदेश में कृषि विकास दर 2. 3 प्रतिशत वार्षिक थी जो राष्ट्रीय विकास दर से बहुत कम थी। रिपोर्ट बताती है कि गरीबों की जनसंख्या का बड़ा भाग भूमिहीन है साथ ही सामान्यतः औसत भूमि जोत स्वामित्व 0.1 हेक्टेयर से भी कम है।' इस प्रकार देखा जाए तो गरीब जनसंख्या का बड़ा भाग भूमिहीन होने के बावजूद भी कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है।

पावर्टी एण्ड सस्टनेबुल डेवलपमेण्ट, डॉ0 के0 रामचन्द्रन, 2005, के अध्याय 11 'पॉवर्टी ऑफ इण्डिया' में कहा है कि ''मानवीय मूल्यों को अर्जित करने में गरीबी एक मुख्य कारक है, उन्होने माना है कि गरीब व्यक्ति केवल नारकीय जीवन ही व्यतीत नहीं करता बल्कि वह अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को प्राप्त करने में अक्षम होता है तथा नैतिकता का स्तर भी निम्न कोटि का होता है। जहाँ वह स्वयं सामान्य मानवीय व्यवहारों को करने में अक्षम होता है वहीं वह सामाजिक दृष्टि से हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। भारतीयों के बारे में उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही अन्धविश्वासी होते है तथा अपनी किस्मत पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ऐसे में वे गरीबी का दंश उच्च स्तर पर झेलते रहते हैं, ऐसी स्थिति में वे मानते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मो के कारण उनका यह हाल है।'' डॉ.रामचन्द्रन ने माना है कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज भारत की सरकार एवं लोग गरीबी की गम्भीर समस्या से परिचित हो गए हैं और लम्बे समय से सभी स्तर से इसे कम करने के लिए गम्भीर प्रयास किए जा रहे है किन्तु फिर भी देश में गरीबी बनी हुयी है। यद्यपि इसका आशय यह नही लगाना चाहिए कि देश के नियोजक एवं सरकार थक–हार कर बैठ गई है बल्कि और संगठित होकर गरीबी की समस्या को हल करने हेतु संघर्षरत है जिसमें देश की राजनीतिक स्थिरता महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है।''

रिड्यूशिंग पावर्टी एण्ड सस्टेनिंग द इनवायरोमेंन्ट के शीर्षक 'द पॉलिटिक्स ऑफ लोकल इन्गेजमेंट, श्री स्टेफन बॉस एवं श्री हन्नाह राइड, 2005, ने अपनी पुस्तक में यह निष्कर्ष निकाला है कि ''गरीब व्यक्ति अपने आर्थिक निवेश का मूल्य राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में नहीं लेता है जिसके कारण उसके अनेक प्रकार की

आवश्यकताएं एवं चिन्ताएं होती है ऐसे निवेश में व्यक्तिगत लाभ भी इस कारण खंडित हो जाता है क्योंकि राष्ट्रीय आय की संम्पप्ति के लिए उसके निवेश को महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है।''

माइक्रो फाइनेन्स एण्ड पावर्टी इन इण्डिया, (लेखपत्र), श्री राजेश कुमार शास्त्री, (www.acadeicjournal.org), 2005, में माना कि 'गरीब व्यक्ति अपने विकास के लिए जो कर्ज लेते हैं उसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयां व्याप्त हैं। अपनी अल्पआय के कारण औपचारिक वित्तीय संस्थाएं इन्हें कर्ज देने में अनेक प्रकार के अवरोध पैदा करती हैं। अधिकांश मामले में औपचारिक वित्तीय संस्थाएं स्थायी आय स्रोत वाले परिवारों को ही कर्ज देने में तत्पर रहती हैं। ऐसे में लम्बे समय तक इन अवरोधों से संघर्ष करने के पश्चात गरीब परिवार हार जाते हैं। साथ ही इस ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया में उसका वर्तमान जीवन स्तर प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से प्रभावित हो जाता है और उसका जीवन हाशिये पर आ जाता है। श्री शास्त्री का मानना है कि स्वरोज़गार के अवसरों को सृजित करके बेरोज़गारी और गरीबी के निवारण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। देश में लगभग 24 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन–यापन कर रहे हैं जिन्हें गरीबी रेखा से उपर लाने के लिए वित्तीय सहायता विशेष मदद कर सकती है जिससे ऐसे लोगों को स्वरोज़गार के अवसरों में वृद्धि के साथ–साथ मूल्यवान साख प्रणाली का लाभ मिल सकता है।

पावर्टी इन इण्डिया, वी0एम0 दाण्डेकर एण्ड नीलकण्ठ रथ, इंडियन स्कूल आफ पोलिटिकल अकॉनामी, 1971, ने अपनी पुस्तक में गरीबी को दूर करने के लिए आर्थिक विकास की दर में कमी व जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि तथा निम्न उत्पाद को उत्तरदायी मानते हैं। इनका मानना है कि कुल जनसंख्या में वृद्धि होने से ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीबों की कुल संख्या में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप गरीब परिवारों का जीवन स्तर गिरने से गरीबों का स्वस्थ्य और भी भयंकर हो जाएगा। दूसरी ओर इनके रोज़गार की गारण्टी का अभाव गरीबी की स्थिति को बनाए रखने का मुख्य कारण होगी।

कृषि अर्थशास्त्र, विकास पब्लिकेशन, आर0एन0 सोनी, 2007, ने अपनी पुस्तक, पृष्ठ संख्या 456 से 462 तक में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी को दूर करने के लिए अनेक रोज़गार परक कार्यक्रमों को लागू करने पर बल दिया है साथ ही सर्वाधिक गरीब परिवारों की पहचान के लिए कुछ मापदण्डों को निश्चित करने पर बल दिया है इनका मानना है कि आर्थिक विकास का अधिक से अधिक लाभ सबसे अधिक गरीब परिवार को देने से ही इन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की रूप–रेखा को निर्धारित करने के लिए गरीबी रेखा के सही निर्धारण पर जोर दिया है।

गरीबी एवं ऋणग्रस्तता, (रिपोर्ट), अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, 1954, में सम्पत्तियां स्पष्ट करती हैं कि 'व्यापक संख्या में ग्रामीण गरीब परिवार कर्ज से ग्रसित हैं तथा उनकी पहुँच बहुत सीमित स्तर पर औपचारिक वित्तीय संस्थाओं तक सीमित है।' इस परिणाम के पश्चात् 1955 में गरीब लोगों को मदद करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को नियुक्त किया गया साथ ही 1969 में 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके साथ–साथ 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक (एन.ए.बी.ए.आर.डी.) की स्थापना की गयी। प्रत्येक बैंकों को गरीबी उन्मूलन के क्षेत्रों में विशेष योगदान करने के लिए नामित किया गया। किन्तु इन सब प्रयासों के बाद भी इस दिशा में वांछित उपलब्धि नहीं प्राप्त की जा सकी।

इनवेस्मेंट, सिन्स कैपिबिल्टी एप्रोच, रिजनल डेवलपमेंट एण्ड पावर्टी रिडक्शन, (लेखपत्र), प्रो0 हैदर ए0 खान, 2005, में माना कि गरीबी उन्मूलन में असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि ग्राम स्तर पर विकास कार्यो में लगे कार्यकर्ता बहुत योग्य नहीं हैं, बिना उन्हें दक्ष किये तथा कौशल के स्थानान्तरण के बिना, गरीबी के लिए बनायी गयी योजनाओं तथा उनके उद्देश्यों का सकारात्मक परिणाम नहीं प्राप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा न हुआ तो नियोजकों द्वारा बनाए गये सारे सिद्धांत प्रयोगविहीन हो जायेगें। ''

एन्टी पावर्टी प्रोग्राम इन उत्तर प्रदेश : ऐन इवैल्युवेशन, (रिपोर्ट), (www.planningcommission.nic.in) प्रो0 रवि श्रीवास्तव, 2001, में माना है कि 'गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि का लगभग आधा से अधिक भाग लक्षित जनसंख्या तक पहुँचने से पहले ही भ्रष्ट नौकरशाहों एवं कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है। उन्होंने माना है कि राज्य में क्रियान्वित संस्थाओं की कार्य पद्धति एवं व्याप्त भ्रष्टाचार एक केन्द्रीय कारण है कि जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को असफल करने में महत्वपूर्ण योगदान करता है।'

गरीबी उन्मूलन एवं विकास के सन्दर्भ में उपरोक्त विद्वानों के विचारों का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि गरीबों की पहचान पर विभिन्न विद्वानों के विचारों में समरूपता नहीं है। देश में अलग–अलग विकास सूचकांको को आधार मान कर विभिन्न विधियों से गरीबों की मात्रात्मक मूल्यों के आकलन के कारण गरीबों की संख्या में भी विचलन दिखाई देता है। किन्तु अधिकांश विद्वानों ने गरीबी के जिन कारणों को चिन्हित किया है उसमें समरूपता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। यद्यपि आजादी के पश्चात् देश में गरीबी उन्मूलन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया है। किन्तु देश की भौगोलिक विषमताएं, क्षेत्र स्तर पर समस्या का विभिन्न स्वरूप, राज्यों के अस्थिर सरकारें, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, लचीली एवं भ्रष्ट प्रशासनिक संरचना तथा गरीब परिवारों की कमजोर सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण उनके लिए बनाई गई योजनाएं अपने उद्देश्यों से भटक जाती है, जिसके कारण गरीबी उन्मूलन की दिशा में वांछित उपलब्धि आजादी के छः दशक बाद भी नहीं प्राप्त किया जा सका है।

2.2 अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक विषमताएं

देश की कुल जनसंख्या का 16.62 प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। भौगोलिक आधार पर प्रदेश को चार क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य एवं बुन्देलखण्ड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां उन्नतशील एवं आधुनिक खेती के कारण सम्पन्न है वहीं बुन्देलखण्ड सिंचाई की सुविधा के अभाव में सूखा का दंश अक्सर झेलता रहता है, प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ की समस्या लगभग प्रत्येक वर्ष बनी रहती है साथ ही परम्परागत खेती के कारण कृषि क्षेत्र कमजोर है, मध्य क्षेत्र में भी खेती की स्थिति अच्छी नही है। उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण अत्यधिक अल्प स्तर पर होने के कारण यहाँ की ग्रामीण जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि आश्रित है। कृषि की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजी–रोटी की समस्या विकराल होती जा रही है जिससे गरीबी में आशातीत सुधार नहीं हो पा रहा है। वर्ष 2002 में जहाँ भारत की लगभग 26 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को अभिशप्त थी वही प्रदेश में गरीबों का प्रतिशत अनुपात 31.15 था।

उपरोक्त स्थिति प्रेरित करती है कि आखिर प्रदेश में समस्या का यह स्तर क्यों है? क्या हमारे कार्यक्रमों में कोई खामियॉ है या फिर उनके क्रियान्वयन का पक्ष ही कमजोर है? पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन के बाद भी प्रदेश में भुखमरी क्यों व्याप्त है, इन कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूढ़ने हेतु आवश्यक है कि इस सन्दर्भ में एक व्यवस्थित अध्ययन किया जाए। इसके लिये देश के अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तर प्रदेश का अध्ययन सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का सर्वाधिक हिस्सा इसी प्रदेश में निवास करती है और वे सभी तत्व जो गरीबी को प्रभावित कर सकते हैं यहां विद्यमान हैं।

2.3 अध्ययन का उद्देश्य

विगत साठ वर्षों में भारत सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिये विभिन्न योजनाओं को चलाये जाने के बावजूद भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का प्रतिशत कुछ कम तो अवश्य हुआ है किन्तु अभी भी देश में 26 करोड़ आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने को अभिशप्त है। ऐसी स्थिति में यह एक शोचनीय विषय हो जाता है कि क्या भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये गरीबी उन्मूलन के लिए अपनायी गई रणनीतियों एवं कार्यक्रमों में कोई कमी है? अथवा इन गरीबों के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन समुचित ढंग से नहीं हो रहा है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य इसी सत्य का पता लगाना है। शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण सरकार द्वारा चलायी गयी विभिन्न गरीबी निवारण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के सन्दर्भ में सुझावनात्मक समाधान प्रदान करेगा। प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य निम्नवत है–

1. आजादी के बाद सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिये उठाये गये कदमों एवं क्रियान्वयन का समीक्षात्मक अध्ययन।
2. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का ग्रामीण अंचलों में प्रभाव एवं उसके दूरगामी प्रभावों का आलोचनात्मक अध्ययन।
3. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पाने में कहाँ तक सफल हो सके हैं, एक अध्ययन।

2.4 शोध अध्ययन हेतु सूचना स्रोत

वर्तमान शोध अध्ययन चार स्रोतों से सूचनाओं को संकलित किया गया हैः–

द्वितीयक आँकड़े

1. प्रकाशित एवं अप्रकाशित आँकड़े, रिपोर्ट, शोध–प्रबन्ध, शोध प्रपत्र व पुस्तकें।
2. शोध क्षेत्र में लगी संस्थाओं व विशेषज्ञों, अध्ययनकर्ताओं आदि के अनुभव का प्रयोग।

प्राथमिक आँकड़े

3. चयनित क्षेत्र से प्राथमिक आँकड़ों का संकलन।
4. क्षेत्र अध्ययन के दौरान व्यक्तिगत प्रेक्षण

1. प्रकाशित एवं अप्रकाशित आँकड़े, रिपोर्ट, शोध–प्रबन्ध, शोध प्रपत्र व पुस्तकें

इसके अन्तर्गत विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं, आर्थिक सर्वेक्षणों, सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गरीबी उन्मूलन योजनाओं, सांख्यिकीय अभिलेख, शासन द्वारा गरीबी उन्मूलन योजनाओं से सम्बन्धित प्रगति रिपोर्ट गरीबी निवारण योजनाओं के सन्दर्भ में जारी विभिन्न रिपोर्ट इत्यादि को अध्ययन के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

2. शोध क्षेत्र में लगी संस्थाओं व विशेषज्ञों, अध्ययनकर्त्ताओं आदि के अनुभवों का प्रयोग

इसके अन्तर्गत विभिन्न शोध संस्थाएं यथा गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, झूँसी, इलाहाबाद, गिरि शोध संस्थान, अलीगंज, लखनऊ, अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, विभिन्न पुस्तकालयों यथा केन्द्रीय पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय व शोध के क्षेत्र में लगी अनेक संस्थाओं के विशेषज्ञों से व्यक्तिगत परिचर्चा व उनके अनुभवों को इस शोध अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

3. चयनित क्षेत्र से प्राथमिक आँकड़ों का संकलन

प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने के उद्देश्य से शोधार्थी ने उत्तर प्रदेश को चार भौगोलिक भागों यथा पूर्वी, पश्चिमी, मध्य एवं बुन्देलखण्ड में बाँट कर प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से एक–एक जनपद तथा प्रत्येक जनपद से दो–दो विकास खण्ड तथा प्रत्येक विकास खण्ड से दो–दो ग्राम तथा प्रत्येक ग्राम सभा से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले दस–दस परिवरों का किया गया है। परिवारों के सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिये विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत साक्षात्कार किया गया। प्रत्येक परिवारों से किए गये व्यक्तिगत साक्षात्कार के अन्तर्गत उनकी वर्तमान सामाजिक, आर्थिक शैक्षिक स्थिति के बारे में जानकारी ली गई साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के वास्तविक प्रभावों को आकलन भी किया गया।

4. प्राथमिक आँकड़ों के संकलन के दौरान क्षेत्र अनुभव

प्राथमिक आँकड़ों के संकलन के दौरान शोधार्थी के समक्ष अनेक ऐसी सूचनाएं परिलक्षित हुई जिनसे अनेक गरीबी निवारण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और उनके क्रियान्वयन में लगी संस्थाओं की क्षमता का आकलन करने में मदद मिली। उन सूचनाओं को फील्ड डायरी में यथा स्थान उल्लिखित किया गया है।

2.5 अध्ययन हेतु उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन के प्राथमिक आँकड़ों के संकलन हेतु दो प्रकार की अनुसूची तैयार की गयी जिसमें पहली अनुसूची गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों से से व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिये बनायी गयी, जिसमें परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के आकलन के साथ–साथ योजनाओं से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त प्रश्न रखे गये, दूसरी अनुसूची ग्राम पंचायत स्तर के लिये बनायी गयी है जिसमें गाँव की आधारभूत संरचना के साथ योजनाओं से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा हेतु कुछ प्रश्न बनाये गये। यह अनुसूची ग्राम प्रधान या पंचायत सदस्य, प्रबुद्ध व्यक्तियों आदि से साक्षात्कार द्वारा सूचनाओं को संग्रहित किया गया है। लाभार्थी एवं ग्राम अनुसूची के अन्तर्गत निम्नांकित क्षेत्रों पर प्रश्नों की रचना की गई है जो निम्नवत दिये गये हैं।

लाभार्थी अनुसूची

- सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक स्थिति

- विकास कार्यक्रमों से लाभ एवं प्रभाव
- विकास कार्यक्रमों में स्थानीय पंचायतों की भूमिका
- योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका
- योजनाओं के क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार
- पारिवारिक समस्याएं एवं उनके हल हेतु परिवारों का सुझाव

ग्राम पंचायत अनुसूची

- गांव की आधारभूत सुविधाएं
- स्थानीय संसाधनों की स्थिति
- जनसंख्या का सामाजिक विवरण
- विकास योजनाओं से लाभान्वित परिवार
- गांव की समस्या एवं सुझाव

इसके अतिरिक्त शोधार्थी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लाभार्थी व पंचायत अनुसूची भरते समय या ग्राम प्रवास के दौरान महत्वपूर्ण अनुभवों को प्रेक्षण के रूप लिपिबद्ध किया गया है।

2.6 अध्ययन क्षेत्र का चयन

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु ग्रामों के चयन के लिए 'स्तरानुकूल रैण्डम सैम्पलिंग विधि' का प्रयोग किया गया। चयन के विभिन्न सोपानों के क्रम मे क्रमशः जनपद, विकास–खण्ड तथा ग्रामों का चयन किया गया है। विभिन्न स्तर के इकाईयों के चयन विधि निम्नवत दिये गए हैं–

जनपद :– उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण क्षेत्र मुख्यतः चार भौगोलिक क्षेत्रों मे बँटा हुआ है जिनको क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी, मध्य एवं बुन्देलखण्ड के नामों से जाना जाता है। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में जहाँ सर्वाधिक 27 जनपद वहीं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 7 जनपद अवस्थित हैं। इसी प्रकार प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में 26 जनपद तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 10 जनपद अवस्थित हैं। प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रदेश के सभी चारों भौगोलिक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है और अध्ययन हेतु प्रदेश के प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र से एक–एक जनपद का 'चयन उद्देश्य पूर्ण प्रतिचयन विधि' द्वारा किया गया है। जनपदों का उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं–

- व्यक्तिगत सुविधा
- क्षेत्र के समतुल्य भौगोलिक संरचना
- गरीबी का परिमाण
- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन एवं आच्छादन

इस प्रकार उपरोक्त आधारों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से जनपद इलाहाबाद, पश्चिम क्षेत्र से मथुरा, मध्य क्षेत्र से बाराबंकी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र से जनपद चित्रकूट का चयन किया गया।

विकास–खण्ड :– प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु चयनित प्रत्येक जनपदों से दो–दो विकास–खण्डों का चयन 'व्यवस्थित रैण्डम सैम्पलिंग विधि' के द्वारा किया गया है। विकास खण्डों के चयन के लिए गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) जीवन यानप करने वाले परिवारों के प्रतिशत को मुख्य आधार रखा गया। विकास खण्डों के चयन के पूर्व चयनित जनपदों मे अवस्थित सभी विकास खण्डों को गरीबी रेखा के नीचे (बी0पी0एल0) रहने वाले परिवारों के प्रतिशत को आधार मान कर सभी विकास खण्डों को अवरोही क्रम में सूचिबद्ध किया गया, तत्पश्चात सबसे अधिक बी0पी0एल0 प्रतिशत वाले विकास खण्डों को अध्ययन हेतु ले लिया गया। इस प्रकार शोध अध्ययन हेतु सम्पूर्ण प्रदेश से आठ (8) विकास खण्डों का चयन किया गया।

ग्राम :– प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु चयनित प्रत्येक जनपदों के चयनित विकास खण्डों से ग्रामों का चयन 'व्यवस्थित रैण्डम सैम्पलिंग' विधि के द्वारा किया गया। ग्रामों के चयन हेतु चयनित विकास खण्डों मे अवस्थित सभी आबाद ग्रामों को क्रमानुसार वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया और तत्पश्चात टीपैड टेबुल की मदद से प्रत्येक चयनित विकास खण्डों से दो (2) ग्रामों का चयन किया गया। इस प्रकार एक जनपद से कुल चार (4) गाँव तथा सम्पूर्ण प्रदेश से कुल सोलह (16) ग्रामों को शोध अध्ययन हेतु चयनित किया गया है।

परिवार :– प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु परिवारों के चयन के लिए 'व्यवस्थित रैण्डम सैम्पलिंग विधि' का प्रयोग किया गया तथा इस हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुख्य आधार माना गया। चयनित विकास खण्डों के चयनित ग्रामों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सूची सम्बन्धित विकास–खण्ड कार्यालयों से प्राप्त की गई, तत्पश्चात टीपैड टेबुल की मदद से प्रत्येक चयनित ग्रामों से दस (10) परिवारों का चयन किया गया। इस प्रकार एक विकास–खण्ड से बीस (20) परिवारों तथा सम्पूर्ण प्रदेश से एक सौ साठ (160) परिवारों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है। क्षेत्र अध्ययन के दौरान चयनित परिवारों के अनुपलब्धता की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गाँव से कुछ अतिरिक्त परिवारों का चयन भी किया गया जिससे प्रतिदर्श की क्षतिपूर्ति इन अतिरिक्त चयनित परिवारों से किया जा सके।

2.7 प्रतिदर्श का आकार

प्रस्तुत अध्ययन को पूर्ण करने के लिये उत्तर प्रदेश के चार जनपदों का चयन उद्देश्य पूर्ण विधि से किया गया जो कि उत्तर प्रदेश के चारों भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मथुरा, मध्य उत्तर प्रदेश से बाराबंकी व बुन्देलखण्ड से चित्रकूट जनपद का चयन उद्देश्य पूर्ण विधि से किया गया। जिसमें प्रत्येक जनपद से दो–दो विकास खण्ड और प्रत्येक विकास खण्ड से दो–दो ग्राम तथा प्रत्येक ग्राम से 10–10 लाभार्थियों का चयन किया गया। अध्ययन हेतु प्रतिदर्श का आकार एवं स्वरूप निम्नवत है–

क्षेत्र	जनपद	विकास–खण्ड	ग्राम	बीपीएल परिवार
पूर्वी	1	2	4	40

पश्चिमी	1	2	4	40
मध्य	1	2	4	40
बुन्देलखण्ड	1	2	4	40
योग	4	8	16	160

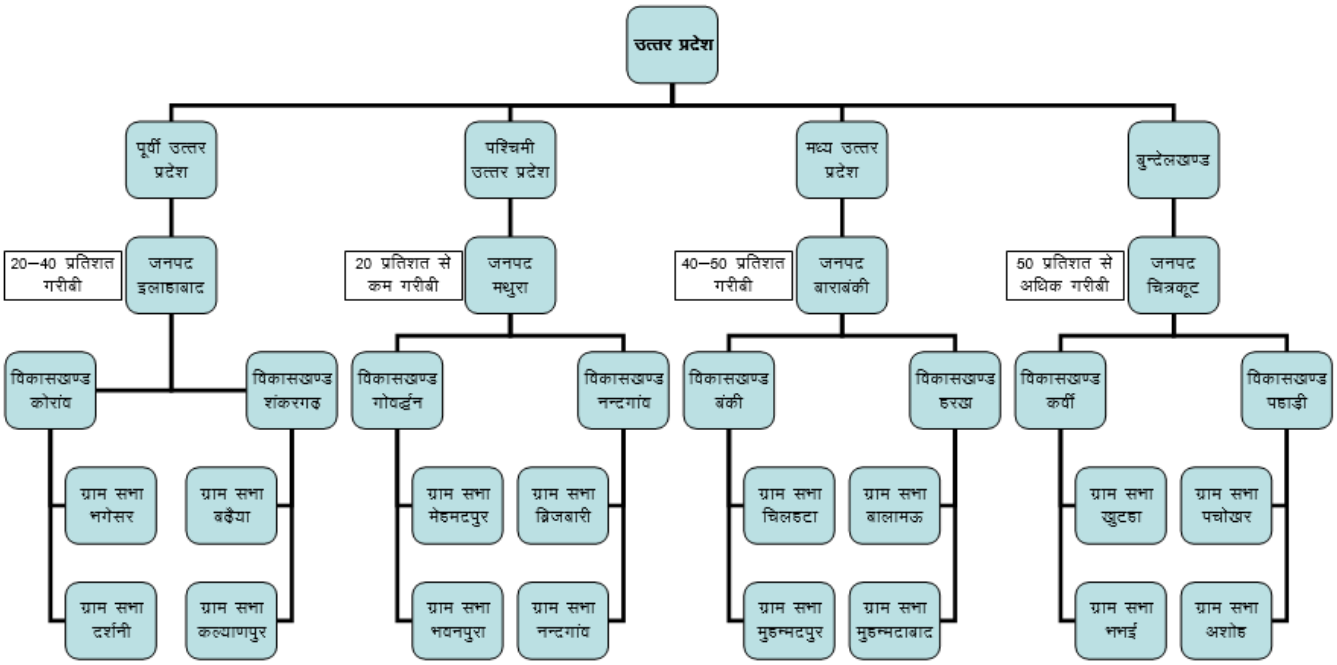

2.8 अध्ययन क्षेत्र का स्वरूप

सारणी 2.1: जनपदवार एवं लिंगवार जनसंख्या तथा साक्षरता दर

विवरण	लिंग	भारत	उत्तर प्रदेश (हजार में)	इलाहाबाद	चित्रकूट	मथुरा	बाराबंकी
जनसंख्या	पुरूष	532,223,090	87565	2626448	409178	1127512	1651908
	स्त्री	496,514,346	78633	2309657	357047	947004	1479711
	योग	**1,028,737,436**	**166198**	**4936105**	**766225**	**2074516**	**3131619**
साक्षरता दर	पुरूष	75.3	68.80	75.81	77.61	76.47	68.78
	स्त्री	53.7	42.20	46.38	49.93	43.43	46.10
	योग	**64.8**	**56.30**	**62.11**	**64.83**	**61.46**	**58.08**

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, 2006&07

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है कि चयनित सभी जनपदों की साक्षरता दर प्रदेश की औसत साक्षरता दर (56.3 प्रतिशत) से अधिक है। उल्लेखनीय है कि चित्रकूट जनपद की साक्षरता दर चयनित सभी जनपदों की तुलना में अधिकतम 64.83 प्रतिशत तथा बाराबंकी जनपद की साक्षरता दर अन्य सभी जनपदों की तुलना में न्यूनतम 55.08 प्रतिशत है। इसी प्रकार इलाहाबाद तथा मथुरा की साक्षरता दर क्रमशः 62.11 प्रतिशत व 61.46 प्रतिशत है। जबकि पुरूष एवं महिला साक्षरता दर में चित्रकूट सभी जनपदों में प्रथम स्थान है जबकि इलाहबाद जनपद महिला साक्षरता दर में द्वितीय एवं पुरूष साक्षरता में तृतीय स्थान रखता है। बाराबंकी जनपद पुरूष साक्षरता में चतुर्थ एवं महिला साक्षरता में तृतीय स्थान तथा मथुरा जनपद पुरूष साक्षरता में द्वितीय एवं महिला साक्षरता में प्रथम स्थान है रखता।

सारणी 2.2: जनपदवार भूमि उपयोग (2006–07)

विवरण	उत्तर प्रदेश (हजार हेक्टेयर)	इलाहाबाद (हेक्टेयर)	चित्रकूट (हेक्टेयर)	मथुरा (हेक्टेयर)	बाराबंकी (हेक्टेयर)
कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	24170	557012	338897	330141	464578
वन	1657	21455	59731	1587	54898
ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि	507	16630	22173	5295	4278
कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि	2729	77988	29335	36518	54206
कृषि योग्य बंजर भूमि	440	12363	10355	5399	3977
स्थायी चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	64	1652	48	1270	462
अन्य वृक्षों एवं झाड़ियों की भूमि	373	9821	26343	1059	2976
वर्तमान परती	1285	76060	13481	4463	4550
अन्य परती	542	25359	5207	3506	3400
शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	16573	315684	172224	271044	
एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	8841	184347	14700	125759	

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, उत्तर प्रदेश, 2006&07

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि चयनित जनपदों में इलाहाबाद जनपद की फसल सघनता (158.2 प्रतिशत) प्रदेश की औसत फसल सघनता (153.3 प्रतिशत) से अधिक है अर्थात यहां के कृषक अन्य जनपदों की अपेक्षा बेहतर उत्पादन कर लेते है। जबकि अन्य जनपदों की सघनता क्रमशः मथुरा में 146.1 प्रतिशत, बाराबंकी में 127.3 प्रतिशत, एवं चित्रकूट में 108.1 प्रतिशत है। इस प्रकार चयनित जनपदों में इलाहाबाद में (पूर्वी उत्तर प्रदेश) कृषि कार्य अन्य जनपदों की तुलना में सर्वाधिक उपयुक्त पाया गया वहीं चित्रकूट जनपद की स्थिति (बुन्देलखण्ड

क्षेत्र) सर्वाधिक अनुपयुक्त पायी गयी। चयनित जनपदों में कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत अनुपात चित्रकूट में 2.9 प्रतिशत व इलाहाबाद में 2.1 प्रतिशत है जो प्रदेश के 1.8 प्रतिशत अनुपात के लगभग बराबर है। इसी प्रकार बाराबंकी 0.6 प्रतिशत जनपद के कृषि योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत अनुपात सबसे कम है अर्थात् यहां पर कृषि योग्य बंजर भूमि की संभावनाएं सीमित है जबकि अन्य तीन जनपदों में कृषि योग्य बंजर भूमि का विकास कर कृषि एवं कृषकों की दशा में सुधार लाया जा सकता है।

इसी प्रकार चित्रकूट (6.54 प्रतिशत) जनपद मे ऊसर एवं कृषि योग्य अयोग्य भूमि का प्रतिशत उत्तर प्रदेश (2.09 प्रतिशत) के प्रतिशत अनुपात से अधिक है जबकि इलाहाबाद जनपद (2.98 प्रतिशत) का प्रतिशत अनुपात प्रदेश के लगभग बराबर हैं जबकि मथुरा जनपद (1.61 प्रतिशत) का कम है जबकि बाराबंकी जनपद (0.92 प्रतिशत) में सबसे कम ऊसर भूमि एवं कृषि आयोग्य भूमि पायी जाती है। इस प्रकार से चित्रकूट जनपद में ऊसर एवं कृषि अयोग्य भूमि का विकास कर गरीब कृषकों की दशा में सुधार लाया जा सकता है।

सारणी 2.3: जनपदवार विभिन्न साधनों द्वारा वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल

(2006–07)

विवरण	उत्तर प्रदेश (हजार हेक्टेयर)	इलाहाबाद (हेक्टेयर)	चित्रकूट (हेक्टेयर)	मथुरा (हेक्टेयर)	बाराबंकी (हेक्टेयर)
नहर	2614	107350	11391	103527	13806
राजकीय नलकूप	373	20094	87	0	4273
निजी नलकूप	9129	101771	16293	156999	185653
कूंऐं	986	7099	10466	0	106348
तालाब	149	3832	6565	0	0
अन्य	62	376	156	0	0
योग	13315	240522	44958	260526	310080

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, उत्तर प्रदेश, 2006–07

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश मे कुल सिचित क्षेत्रफल (55.08 प्रतिशत) का 37.77 प्रतिशत निजी नलकूप, 10.82 प्रतिशत नहर, 4.08 प्रतिशत कुएं, 1.54 प्रतिशत राजकीय नलकूप, 0.67 प्रतिशत तालाब व 0.26 प्रतिशत अन्य साधनों द्वारा सिंचाई किया जाता है। यदि इस स्थिति को जनपद स्तर पर देखा जाए तो सर्वाधिक सिंचित जनपद मथुरा (78.77 प्रतिशत) की कुल सिंचित प्रतिशत का 44.55 प्रतिशत निजी नलकूप तथा 31.36 प्रतिशत नहरों द्वारा सिचाई की जाती हैं जबकि बाराबंकी जनपद में कुल सिचिंत क्षेत्रफल (66.81 प्रतिशत) की तुलना में 39.96 प्रतिशत निजी नलकूप से, 22.89 प्रतिशत कुओं से, 2.97 प्रतिशत नहरों से तथा 0.92 प्रतिशत राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। प्रदेश के इलाहाबाद जनपद मे कुल सिंचित क्षेत्रफल (43.08 प्रतिशत) का 19.27 प्रतिशत नहर से, 18.27 प्रतिशत निजी नलकूप, 3.61 प्रतिशत राजकीय नलकूप से, 1.27 प्रतिशत कुओं से,

0.68 प्रतिशत तालाब से तथा 0.67 प्रतिशत अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है। चित्रकूट जनपद के कुल सिंचित क्षेत्रफल (13.01 प्रतिशत) का 4.81 प्रतिशत निजी नलकूप, 3.36 प्रतिशत नहर, 3.088 प्रतिशत कुओं से, 1.94 प्रतिशत तालाब, 0.046 प्रतिशत अन्य तथा 0.025 प्रतिशत राजकीय नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। इस प्रकार से सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशतता के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित जनपदों में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में सिंचाई सुविधाओं का विकास अधिक हुआ है। जबकि बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जनपद में सिंचाई के संसाधनों का अत्यधिक अभाव है। इस प्रकार प्रदेश व जनपद स्तर पर सर्वाधिक सिंचाई निजी नलकूपों द्वारा की जाती है।

सारणी 2.4: संख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार जनपदवार क्रियात्मक जोतों का वर्गीकरण (कृषि गणना 2000–01)

आकार वर्ग हेक्टेयर		**भारत**	**उत्तर प्रदेश** (क्षेत्रफल हजार हे0)	**इलाहाबाद**	**चित्रकूट**	**मथुरा**	**बाराबंकी**
0.5 हेक्टेयर से कम	संख्या	NA	NA	328799	48338	41543	136361
	क्षेत्रफल (हे0)	NA	NA	83375	12785	10893	34541
0.5 से 1.0 हेक्टेयर	संख्या	76122	16658.9	103636	34553	26596	71486
	क्षेत्रफल (हे0)	30088	6647.7	78422	24443	19379	50996
1.0 से 2.0 हेक्टेयर	संख्या	22814	3087.1	61711	27466	32949	61693
	क्षेत्रफल (हे0)	32260	4365.8	87466	38324	47780	88147
2.0 से 4.0 हेक्टेयर	संख्या	14087	1427.1	28203	14727	26176	35594
	क्षेत्रफल (हे0)	38305	3905.6	76837	40385	74199	97357
4.0 से 10.0 हेक्टेयर	संख्या	6568	463.0	9393	7650	12072	11641
	क्षेत्रफल (हे0)	38125	2579.9	54015	45695	67868	62520
10 हे0 एवं उससे अधिक	संख्या	1230	32.1	1373	1663	847	536
	क्षेत्रफल (हे0)	21124	484.3	21944	26974	12463	10361
कुल जोत	**संख्या**	**120821**	**21668.2**	**533115**	**134397**	**140183**	**317311**
	क्षेत्रफल (हे0)	**159902**	**17983.3**	**402059**	**188606**	**232582**	**343922**

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, 2006&07

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि प्रदेश के (76.88 प्रतिशत) कृषकों के पास 17983.3 हजार हेक्टेयर भूमि है, अर्थात इनके पास कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र (36.9 प्रतिशत) हिस्सा ही कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। दूसरी ओर यदि जनपद स्तर पर देखा जाए तो मथुरा जनपद में जोतों का आकार व क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम हैं

जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में छोटी जोतों का आकार 1 हेक्टेयर से अधिक हैं जो चयनित जनपदों में सर्वाधिक हैं। अर्थात् पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि छोटी जोतों में बंटी हैं।

सारणी 2.5: जनपदवार प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद

(रुपये में)

विवरण	वर्ष	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	चित्रकूट	मथुरा	बाराबंकी
1999–00 के भावों पर	1999&00	9405	9452	6047	12558	8319
	2004&05	10224	9808	6342	13785	10089
	2005&06	10637	10517	6560	14884	9577
प्रचलित भावों पर	1999&00	9405	9452	6047	12558	8319
	2004&05	11941	11117	7340	15997	12426
	2005&06	13262	12715	8009	18749	12920

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, उत्तर प्रदेश, 2008

उपरोक्त सारणी में दिये गये आंकड़ो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999–2000 व 2005–06 के मध्य चयनित जनपदों क्रमशः मथुरा में 18.5 प्रतिशत, बाराबंकी में 1.15 प्रतिशत, इलाहाबाद में 11.6 प्रतिशत, तथा चित्रकूट जनपद में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद में बढ़ोत्तरी हुयी। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1999 व 2005 के मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश मे लोंगों के जीवन स्तर में सर्वाधिक एवं बुन्देलखण्ड के लोगों के जीवन स्तर में सबसे कम सुंधार हुआ।

सारणी 2.6: जनपदवार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण (2001)

विवरण	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	चित्रकूट	मथुरा	बाराबंकी
कृषक	22168000	399468	147147	231407	213.684
कृषि श्रमिक	13401000	156549	40101	53477	1707.40
पारिवारिक	3031000	100902	6782	20038	34.455
अन्य कर्मकार	15384000	449679	41739	233245	268.386
कुल मुख्य कर्मकार	39338000	1106598	235829	538167	708.265
सीमान्त कर्मकार	14646000	564751	104995	232751	176.216
कुल कर्मकार	53984000	1671349	340824	770918	884.481

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, उत्तर प्रदेश, 2008

सन्दर्भ–

1.सांख्यिकीय पत्रिका, उत्तर प्रदेश, 2008

2.सांख्यिकीय पत्रिका, उत्तर प्रदेश, 2008

3.सांख्यिकीय पत्रिका, 2006&07

4.मार्गनिर्देशिका, 2000, पृष्ठ–20, निदेषालय समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।

5. मूल्यांकन निर्देषिका, 2000, पृष्ठ–25, सामाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेष सरकार लखनऊ।

6.भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–311, सूचना प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार नयी दिल्ली।

7.भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ), 2005, पृष्ठ–312, सूचना प्रसारण मंत्रलाय, भारत सरकार नयी दिल्ली।